कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,उत्तर प्रदेश, छठा तल जवाहर भवन, लखनऊ

संख्या–एम0ई0–3/2016/2645 लखनऊः दिनांकः 21 सितम्बर 2016

रिट याचिका संख्या–20575 (एम0बी0) आफ 2016 यू0पी0 अनएडेड मेडिकल कालेजेज वेलफेयर एसोसिएशन बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.9.2016 में निहित निर्देशानुसार तथा शासनादेश संख्या–3688(1)/71–2–2016/81/2016 दिनांक 18 सितम्बर 2016 में निहित व्यवस्थानुसार दिनांक 23 सितम्बर 2016 से 25 सितम्बर 2016 तक आयोजित नीट यू0पी0 2016 की निजी क्षेत्र के मेडिकल तथा डेण्टल कालेजों की काउंसिलिंग हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत हैंः–

- ऐसे समस्त छात्र, जो निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में आवंटन हेतु इच्छुक हैं, वह निजी क्षेत्र की काउंसिलिंग हेतुकाउंसिलिंग केन्द्र में पंजीकरण के लिये **(Registration/Self Declaration form)** पंजीकरण फार्म विभागीय वेबसाईट **www.updgme.in** से डाउनलोड कर उसे पूर्णतया भरते हुये समस्त वांछित अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों सहित अपने काउंसिलिंग केन्द्र पर निर्धारित तिथि को जमा करेंगे, जिससे उनका पंजीकरण सम्भव हो सकेगा। निजी क्षेत्र की काउंसिलिंग हेतु फार्म (प्रपत्र 1–क) वेबसाईट पर उपलब्ध है।

- दिनांक 18.9.2016 से 22.9.2016 के मध्य के0जी0एम0यू0, लखनऊ की वेबसाईट पर पंजीकृत ऐसे छात्र, जो निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेण्टल कालेजों की सीटों पर प्रवेश के इच्छुक हैं, को सम्मिलित करते हुये एक मेरिट सूची दिनांक 23 सितम्बर 2016 को प्रातः 8:00 बजे जारी की जायेगी।

- निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेण्टल कालेजों की काउंसिलिंग दिनांक 23 सितम्बर 2016 को मध्यान्ह 12:00 बजे से नवीन मेरिट सूची के आधार पर ही प्रारम्भ की जायेगी।

- काउंसिलिंग हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को अपने समस्त मूल शैक्षिक अभिलेखों, नीट 2016 की परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र (Original Hall Ticket), पहचान से सम्बन्धित दस्तावेज (Original Identity Proof) तथा उसकी छायाप्रतियों एवं 02 फोटोग्राफ सहित उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

- इस काउंसिलिंग से आवंटित छात्रों के प्रवेश की अन्तिम तिथि दिनांक 25 सितम्बर 2016 है। आवंटित छात्र द्वारा दिनांक 25 सितम्बर 2016 तक सम्बन्धित कालेजों में प्रवेश न लेने की दशा में वह सीट मॉपअप राउण्ड के आवंटन में सम्मिलित कर ली जायेगी।

- मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में प्रथम डी0नोवो काउंसिलिंग की प्रवेश प्रकिया दिनांक 25 सितम्बर 2016 तक पूर्ण की जानी है। अतः छात्रों की सुविधा हेतु समस्त काउंसिलिंग केन्द्रों पर छात्रों के तत्काल प्रवेश हेतु Spot Admission की व्यवस्था सम्बन्धित कालेजों द्वारा की जानी है, जिसकी सूचना कालेजों को प्रेषित की जा चुकी है। अतः छात्रों से अपेक्षित है कि आवंटन के पश्चात तत्काल प्रवेश हेतु Spot Admission हेतु अपनी पूर्ण तैयारी के साथ उपस्थित हों।

- निजी क्षेत्र के कालेजों में प्रवेशित छात्रों की बायोमेट्रिक जॉच राजकीय कालेजों मे होने वाली बायोमेट्रिक जॉच की भांति ही सम्पन्न करायी जायेगी, जिसमें किसी भी प्रकार की गडबडी पाये जाने पर समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित छात्र एवं संस्थान की होगी। बायोमेट्रिक जॉच के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन एवं महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगे।

- चूँकि निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेण्टल कालेजों पर आवंटन के इच्छुक छात्रों की मेरिट सूची अभी जारी नहीं हुई है तथा निजी क्षेत्र के कालेजों की काउंसिलिंग नवीन मेरिट सूची के आधार पर की जानी है, अतः निजी क्षेत्र के कालेजों में आवंटन के इच्छुक समस्त छात्रों को काउंसिलिंग हेतु निर्धारित तिथि पर अपनी सुविधानुसार किसी भी काउंसिलिंग केन्द्र पर उपस्थित होकर उपस्थिति/पंजीकरण/अभिलेखों का सत्यापन कराना अनिवार्यहोगा।

- इस हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।

महानिदेषक,
चिकित्सा षिक्षा एवं प्रषिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।